ing advertisement space by the New Delhi Municipal Corporation (NDMC);

(b) if so, the details thereof;

(c) whether advertisement space in various Kiosks has been given by the NDMC to Indian Tobacco Company, (ITC) without following the tendering procedure; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI MOHD. MAQBOOL DAR): (a) and (b) There are no specific guidelines in this regard. However, advertisements are to be permitted as per provisions of the NDMC Act, 1994 and the bye-laws made thereunder.

(c) and (d) According to the New Delhi Municipal Council, the object of cladding the Kiosks/Paan Tharas was to give a facelift to the existing structure, which would also improve the environment. The matter regarding cladding of Kiosks by the ITC was discussed in a meeting held in April 1994 and it was decided to entrust the work in respect of a few Kiosks/Paan Tharas initially on Jantar Mantar Road and Parliament Street. The ITC had offered to do the work free of cost and was also willing to pay the advertisement tax to the NDMC. After reviewing the cladding work done by the ITC on these selected Kiosks by a committee of officers, it was decided to permit the ITC to complete the cladding work on all the Kiosks/Paan Tharas located within Lutyen's Bungalow Zone of the NDMC, without putting any smoking advertisement on them. According to the Government of National Capital Territory of Delhi, there appears to be no reason to doubt the bona fides of the decision in question.

**Rationalisation of Irrigation Rates**

1728. SHRI RAHASBIHARI BARIK: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether in view of the difficult financial condition of some States with regard to the cost of maintenance of irrigation projects, Government propose to rationalise irrigation rates in the country; and

(b) if so, the steps taken to provide adequate special assistance for these States?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI JANESHWAR MISHRA): (a) and (b) Irrigation being a State subject, it is for the State Governments to act on rationalising the irrigation water rates. No special assistance by the Central Government to any State to meet the cost of maintenance of irrigation projects is provided. However, the Planning Commission set up a Committee on Pricing of Irrigation Water in October, 1991 under the Chairmanship of Dr. A. Vaidyanathan, Former Member, Planning Commission to examine various aspects of water pricing in the country. The Committee in its report submitted in September, 1992 has made important suggestions to rationalise the irrigation water rates and thereby reduce the gap between revenue realised through irrigation and related charges and the cost of operation and maintenance of irrigation projects. The recommendations of the Vaidyanathan Committee were further studied by the Group of Officers set up by the Planning Commission in October, 1992. The Group in its report of December, 1994, recommended, inter-alia, that the irrigation water rates should cover the full annual operation and maintenance cost in phases in next 5 years period. The recommendations of the Group alongwith the report of the Vaidyanathan Committee have been sent by the Planning Commission to all the States for consideration and further action.

**कांडला बंदरगाह पर अपर्याप्त लंगरगाह (बर्थ)**

1729. **श्री राघवजी:** क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कांडला बंदरगाह पर पर्याप्त लंगरगाहों (बर्थों) के अभाव में अथवा अन्य

कारणों से जहाजों को समुद्र में काफी समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1995 तथा 1996 के दौरान उन्हें औसतन कितने दिन प्रतीक्षा करनी पड़ी?

**जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी० जी० वेंकटरामन)**: (क) कांडला पत्तन पर उपलब्ध वास्तविक बर्थिंग सुविधा से अधिक भारी और गैर-चरणबद्ध पोतों के आगमन से यहां आने वाले पोतों को बर्थिंग-पूर्व विलम्ब का सामना करना पड़ता है।

(ख) वर्ष 1995 और 1996 के दौरान (जून, 1996 तक) पोतों को औसतन क्रमशः 5.57 दिन और 9.03 दिन प्रतीक्षा करनी पड़ी।

**Uttar Pradesh Assembly Elections**

1730. **SHRIMATI MALTI SHARMA:**
**SHRI RAJ NATH SINGH:**

*Will the Minister of HOME AFFAIRS* be pleased to state:

(a) whether Government have taken any decision to hold the Assembly Elections in Uttar Pradesh in near future; and

(b) *if so, the details thereof?*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI MOHD. MAQBOOL DAR): (a) and (b) The process of elections to the Uttar Pradesh Legislative Assembly is proposed to be completed by the 17th October, 1996.

**वस्त्र निर्यात हेतु नए बाजार**

1731. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला**: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वस्त्रों के निर्यात हेतु नये बाजारों का पता लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत वर्ष के दौरान किसी विशिष्ट निर्यात हेतु किन्हीं नये बाजारों का पता लगाया गया;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**वस्त्र मंत्री (श्री आर०एल० जालप्पा)**: (क) से (ङ) भारतीय वस्त्र उत्पादों को बहुत से देशों को निर्यात किया जा रहा है। वस्त्र के निर्यातों को हर जगह बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार अनेक कदम उठाती रही है जिसमें क्रेता-विक्रेता बैठकों, मेलों, प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए निर्यातकों को प्रोत्साहित करना, निर्यात उत्पादों के लिए रियायती शुल्क पर पूंजीगत वस्तुओं को आयात करना, निर्यात उत्पादन के लिए
कच्चे सामानों का शुल्क मुक्त आयात की विशेष व्यवस्था करना, निर्यात ऋण की अधिक उपलब्धता सुनिश्चित करना, आदि शामिल हैं। अपने वस्त्र निर्यातों को कुछ देशों/क्षेत्रों में बढ़ाने के उद्देश्य से, सरकार ने साओ पाउलो (ब्राजील), ओसाका (जापान), डबरन (साउथ अफ्रीका) तथा मेलबोर्न (आस्ट्रेलिया) में एक सदस्य निर्यात संवर्धन कार्यालय को खोलने के वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषदों के मिश्रित प्रयास का समर्थन किया है।

**राज्यों में निर्यात संवर्धन परिषद कार्यालय**

1732. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:**
**श्रीगोपाल सिंह जी० सोलंकी:**

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा निर्यात संवर्धन परिषद के पूर्णकालिक कार्यालय खोलने हेतु और राज्यों में उनकी स्वीकृति प्रदान करने हेतु कोई मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या गुजरात में उक्त परिषद का एक पूर्णकालिक कार्यालय खोलने से संबंधित कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त प्रस्ताव पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है?

**वस्त्र मंत्री (श्री आर०एल० जालप्पा)**: (क) सरकार ने राज्यों में विभिन्न वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषदों के पूर्णकालिक कार्यालय खोलने के लिए किसी प्रकार के मानदंड निर्धारित नहीं किये हैं। ऐसे निर्णय निर्यात संवर्धन परिषदों द्वारा स्वतः ही लिये जाते हैं जोकि अन्य बातों के साथ-साथ क्षेत्र से निर्यातकों की संख्या, क्षेत्र में मूलतः किये जाने वाले निर्यात की मात्रा तथा संबंधित निर्यात संवर्धन परिषद के वित्तीय संसाधनों पर आधारित होते हैं।

(ख) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।